

आवश्यक सूचना

म.प्र. स्नातकोत्तर चिकित्सा / दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम वर्ष 2015 में प्रवेश हेतु वांछित मूल दस्तावेज

सभी अभ्यर्थियों को जो म.प्र. के शासकीय अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में ए.आई.पी.जी.एम.ई.-2015 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई.-2015 के माध्यम से उत्तीर्ण होकर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें केन्द्रीकृत स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज लेकर प्रस्तुत होना अनिवार्य है :-

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2015 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2015 परीक्षा का रैंक लेटर एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड ।
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु ।
3. सभी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची ।
4. दिनांक 31 मार्च 2015 को इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र / इंटर्नशिप चलने संबंधी प्रमाण-पत्र (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2015 को पूर्ण हो जावेगी)
5. एमसीआई / डीसीआई का स्थायी/अस्थायी (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2015 को पूर्ण हो जावेगी) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एमसीआई को आवेदन की पावती)
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र ।
7. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ स्व हस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषण पत्र तत्समय लागू शासन के नियमानुसार।
9. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ।
10. वर्तमान वर्ष 2014-15 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु) / स्व हस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषण पत्र तत्समय लागू शासन के नियमानुसार।
11. मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नान-क्लिनिकल/ पैराक्लिनिकल विषयों में प्रदर्शक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र ।
12. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत उम्मीदवारों के लिए लागू)
13. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।

14. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

नोट:- 1. अभ्यर्थी को अपना फोटा आई.डी. (वोटर आइड कार्ड/पेन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट ड्रायविंग लायसेंस आदि) एवं ए.आई.पी.जी.एम.ई.-2015/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई.-2015 परीक्षा के आवेदन फार्म पर चस्पा की गई फोटो की 30 प्रतियां स्कूटनी, आवंटन एवं प्रवेश के समय लाना अनिवार्य है।

नोट:- 2 स्कूटनी के समय सभी मूल दस्तावेज की स्व. प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट लाना अनिवार्य है।

नोट:-3 सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश हेतु स्कूटनी एवं प्रवेश की केन्द्रीकृत प्रक्रिया के समय उन्हें पूर्ण फीस महाविद्यालय एवं पाठयक्रम के अनुसार भरना अनिवार्य है। फीस नहीं भरने की दशा में प्रवेश एवं आवंटित सीट को रिक्त मान्य नहीं होगा। अतः फीस भरना सुनिश्चित करना अभ्यर्थी का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा। किसी प्रकार की छूट इस संबंध में देय नहीं होगी।